



पत्रांक:-  
सेवा में,

1467 / 18mg

दिनांक:- 09/7/2024

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग,  
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भूमियों देव मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.755 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46634/2020)

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2200/ FP/UK/ROAD/46634/2020 दिनांक 22.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/११/२०२१/एफ०सी०/२३०० दिनांक 17.02.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत प्रेषित है:-

- 1- शर्त संख्या-1, के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
- 2- शर्त संख्या-2, के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि(नापभूमि) को अधिग्रहित कर लिया गया है।
- 3- शर्त संख्या-3, प्रतिपूरक वनीकरण:-
  - (क) खण्ड द्वारा 3.51 हैक्टेयर गैर वानिकी भूमि ग्राम छीमीमटेला के खसरा नं० 1323 मध्ये में प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार ) रु० 11,83,516.00 (ग्यारह लाख तिरासी हजार पाँच सौ सोलह मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 754/कैश दिनांक 31.03.2021 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल से नैफ्ट/आर० टी०जी०एस०चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-01 से 02) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
  - (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम छीमीमटेला के खसरा सं० 1323 मध्ये 3.510 हैक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण /हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक सं० 109/12-ज्येड.ए.सी./2020-21 दिनांक 09.03.2021 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। (संलग्नक-3 से 9)।
  - (ग) इस बिन्दु से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। कृपया इसमें हस्ताक्षर कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक-9)
- 4- शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत आन लाईन जमा करा दी गयी है। (संलग्नक-10)
- 5- शर्त संख्या-05 शुद्ध वर्तमान मूल्य:- (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रि०पी०(सि०) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी०(14.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मू० 11,53,035.00 (रु० ग्यारह लाख तिरेप्पन हजार पैंतीस मात्र ) की धनराशि 1.755 हैक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/ एन०पी०बी० आन लाईन जमा करा दिया गया है। (संलग्नक-10)



- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को जमा करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक-11)
- 6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 46 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र। (संलग्नक-12)
- 7- शर्त संख्या-07, के अनुपालन में समस्त धनराशि ई-पोर्टल ( <https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राविधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/ जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। (संलग्नक-10)
- 8- शर्त संख्या-08 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006, का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों / वनक्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साईनेज लगाया जायेगा।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक-08)
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वनभूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
- 16- शर्त संख्या-16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर ही भूमि पर सीमांकन कराया जायेगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।
- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में इनमें, से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उसपर कार्यवाही होगी, मान्य है।
- 21- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पैधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश/ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर प्रेषित की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर के प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर एक-एक हार्ड प्रति मूल में इस कार्यालय को लौटाने का कष्ट करें, ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त संख्या-24 के अनुसार अनुपालन आख्या ई-पोर्टल ( <https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर आन लाईन भी प्रेषित की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। चार-चार हार्ड प्रतियां कुल पृष्ठ।

पत्रांक:- 1467 / 18mg

दिनांक:- 9/7/21

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नैनीताल  
9/7/2021

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नैनीताल  
9/7/2021

पत्रांक:-  
सेवा में,

754/487

दिनांक:- 31/03/2021

शाखा प्रबन्धक,  
भारतीय स्टेट बैंक,  
मल्लीताल, नैनीताल।

विषय:- बैंकर्स चैक संख्या 179314 दिनांक 30/03/2021 को Neft/Rtgs द्वारा दिये गये चालान के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि, खण्ड के अन्तर्गत नव स्वीकृत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छिमी से मटेला होते हुये तोला भूमिया देव मंदिर तक मोटर मार्ग निर्माण में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का भुगतान वन विभाग के कैम्पा कोष में रू0 23,36,551.00 मात्र का Neft/Rtgs चालान के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु ऑन लाईन चालान जनरेट हुआ है, जिसमें उसका खाता अंकित है, में Neft/Rtgs के माध्यम से धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्तानुसार बैंकर्स चैक सं0 179314 दिनांक 30/03/2021 रू0 23,36,551.00 मात्र (तेईस लाख छत्तीस हजार पांच सौ इक्यावन) एवं ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान की प्रति सहित मूल में संलग्न कर भुगतान किये जाने हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है, कृपया जनरेट चालान के अनुसार अंकित खाते में यह धनराशि Neft/Rtgs के माध्यम से हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

संलग्न:- 1- बैंकर्स चैक संख्या 179314 दिनांक 30/03/2021 रू0 23,36,551.00 मूल में।  
2- ऑन लाईन के माध्यम से जनरेट चालान - 03 प्रति में।

भवदीय



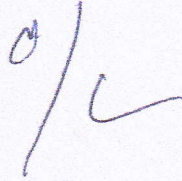
अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नैनीताल

छाया प्रति प्रमाणित



सहायक अभियन्ता  
नि0 खा0, लो0नि0वि0, नैनीताल



CHIMI MATELA MIK संलग्नक-2

**AGENCY COPY:**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 08-03-2021

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Agency Name.     | EE CD NAINITAL                                    |
| Application No.  | 6146634712                                        |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/11/2021/FC                              |
| Location.        | UTTARANCHAL                                       |
| Address.         | Construction division,<br>P.W.D. NainitalNainital |
| Amount(in Rs)    | 2336551/-                                         |

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-One Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTARANCHAL CAMPA                                                                                               |
| IFSC Code:           | CORP0000371                                                                                                     |
| Pay to Account No.   | 150896146634712<br>Valid only for this<br>challan amount.                                                       |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 08-03-2021

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Agency Name.     | EE CD NAINITAL                                     |
| Application No.  | 6146634712                                         |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/11/2021/FC                               |
| Location.        | UTTARANCHAL                                        |
| Address:         | Construction division,<br>P.W.D. Nainital Nainital |
| Amount(in Rs)    | 2336551/-                                          |

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Six Thousand Five Hundred and Fifty-One Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiary Name:    | UTTARANCHAL CAMPA                                                                                               |
| IFSC Code:           | CORP0000371                                                                                                     |
| Pay to Account No.   | 150896146634712<br>Valid only for this<br>challan amount.                                                       |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank<br>Lodhi Complex Branch,<br>Block 11,CGO Complex,<br>Phase I, Lodhi Road, New<br>Delhi -110003 |

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Vr.. 3220...  
Date 31.3.2021

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print Back

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Construction Div. P. W. D.  
NAINITAL

*[Signature]*  
Executive Engineer  
Construction Div. P. W. D.  
NAINITAL



उत्तरांचल प्रदेश सरकार  
नगर विकास विभाग  
नगर विकास विभाग  
नगर विकास विभाग

**आदेश**

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ के नथुवाखान-सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी मटेला होते हुए तोला भूमियां देव मंदिर तक मोटर मार्ग तक के निर्माण हेतु ग्राम छीमी मटेला की नॉन0ज्येड0ए0खतौनी की श्रेणी 9(3)ड अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या-52 के खसरा नम्बर, 1323 रकवा 9.075हे0 मध्ये रकवा 3.510हे0 भूमि सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी, कोश्याँ कुटोली की आख्या दिनांक 08 मार्च, 2021 एवं उसके साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 15-11-2019 वन विभाग, राजस्व विभाग व कार्यदायी संस्था के कम में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में नथुवाखान-सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भूमियां देव मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम छीमी मटेला की नॉन0ज्येड0ए0खतौनी की श्रेणी 9(3)ड अन्य बंजर भूमि के खाता संख्या-52 के खसरा नम्बर, 1323 रकवा 9.075हे0 मध्ये रकवा 3.510हे0 भूमि सिविल सोयम भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार, कोश्याँ कुटोली तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, एवं याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 जनपद नैनीताल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन/सहमति उपरान्त जारी किया गया है।

 626/18mg/10/3/21  
 10/3/21

 भागावृत्ति प्रमाणित  
 महापंचक अभियन्ता  
 नि0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल

 (ऋचा सिंह)  
 प्रभारी अधिकारी,  
 कृते जिलाधिकारी,  
 नैनीताल।

10/3

**कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।**

पत्र संख्या 109/12-ज्येड0ए0सी0/2020-21

दिनांक 09 मार्च, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल/अल्मोड़ा
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।
- 3- उपजिलाधिकारी, कोश्याँ कुटोली।
- 4- तहसीलदार, कोश्याँ कुटोली।

 प्रभारी अधिकारी,  
 कृते जिलाधिकारी,  
 नैनीताल।

उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0

ग्राम - होमी मटेला, परगना कुटौली, तहसील कोश्यो कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 1428 फसली तक

| खाता सं० | खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान | भौमिक अधिकार वर्ष | खसरा संख्या                                     | क्षेत्रफल (हे.)                                                               | लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                 | 4                                               | 5                                                                             | 6    | 07-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52       | <u>अन्य बंजर भूमि वन पेचायत 21570 हे०</u> |                   | 1<br>2<br>3<br>12<br>27<br>44<br>49<br>67<br>81 | 2.330<br>5.025<br>2.466<br>0.009<br>0.063<br>0.020<br>0.105<br>0.006<br>0.028 | -    | कार्यालय जिलाधिकारी<br>नैनीताल के<br>पत्र सं० 109/12-21 दिनांक<br>स० 10/02/20-21 दिनांक<br>09 मार्च 2021 के अनुसार<br>नानपद नैनीताल के<br>अन्तर्गत विकास खण्ड<br>रामगढ़ के नव्युनारवान<br>- सुगलवाडी मोटरमार्ग<br>होमी मटेला होते हुए<br>तेला भूमि का देव मन्दिर<br>तक मोटर मार्ग तक<br>के निर्माण हेतु ग्राम-<br>होमी मटेला को नान०<br>खेड० रग खतौनी को<br>प्रेजी 9132 अन्य बंजर<br>भूमि के खाता संख्या<br>52 के खसरा नम्बर<br>1323 रकबा 9.075 हे०<br>यव्ये रकबा 3.510 हे०<br>भूमि सिविल सौध<br>भूमि को वन विभाग<br>के पक्ष में हस्तान्तरीत<br>नामान्तरीत विधे नान०<br>के संबंध में उप जिलाधिकारी<br>कोश्यो कुटौली को आख्या<br>दिनांक 02 मार्च 2021<br>सब उसीके साथ संलग्न<br>संयुक्त निरीक्षण आख्या<br>दिनांक 15-11-2019<br>वन विभाग, रामगढ़<br>विभाग व कार्यदायी<br>संख्या के क्रम में<br>नानपद नैनीताल के<br>अन्तर्गत विकास खण्ड |
|          |                                           |                   | 337<br>342<br>362<br>363<br>364                 | 0.013<br>0.089<br>0.028<br>0.089<br>0.019                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

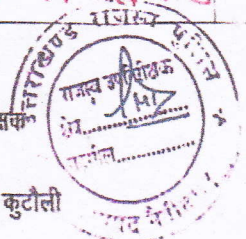
नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

अ.फ.डा:

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र -

तहसील कोश्यो कुटौली



सैल नं-5

पृष्ठ सं० (2)

**उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0**

ग्राम - हथिया मरेला परगना कुटौली, तहसील कोश्याँ कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 14 से 14 फसली तक

| खाता सं० | खातेदार का नाम व पिता का नाम/ निवास स्थान | मौमिक अधिकार वर्ष | खसरा संख्या                     | क्षेत्रफल (हे.)                           | लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विवरण |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1        | 2                                         | 3                 | 4                               | 5                                         | 6    | 07-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13    |
|          | - लगातार -                                |                   | 365<br>366<br>367<br>368<br>369 | 0.015<br>0.015<br>0.018<br>0.015<br>0.013 |      | रायगाट में लम्बुवास्तान -<br>सुवाल्लमारी मोटरमार्ग<br>से मरेला होने हुस<br>नीला-मुमिया देव मन्दिर<br>तक मोटर मार्ग के<br>निर्माण हेतु मुाम-<br>हथिया मरेला को<br>नान० न्येड० रा० खतौनी<br>को श्रेणी 913 ड म-म<br>बनार मुाम के खाला<br>संख्या -52 के बसरा<br>नम्बर 1323 रकबा<br>9.075 हे० मरु रकबा<br>3.510 हे० मुाम सिविल<br>सोमम मुाम को उक्त<br>प्रमाणन हेतु प्रस्तावित<br>किया गया है, उक्तानुसार<br>हो क्षातिपूरक - वृक्षारोपण<br>हेतु प्रस्तावित को गाय<br>मुाम को वन विभाग<br>के प्रशासनिक नियन्त्रण<br>में हस्तान्तरित किया<br>गाने का आदेश देन<br>किया, हस्ताक्षर मसमल<br>12/03/2021 रा० न० लौ० कु०<br>नि० प्रमो० 12/03/2021<br>रा० प्रमो० ल० कु०<br>कार्यालय नैलाध्वारा<br>नैनीताल के पत्र सं०<br>110/12- ज्येड० ल० सी०/<br>2020-21 दिनांक 09 मार्च<br>2021 के अनुसार लम्बपद<br>नैनीताल में राज्य<br>मोमना के अन्तर्गत |       |
|          |                                           |                   | 937<br>939<br>956<br>957        | 0.018<br>0.063<br>0.009<br>0.023          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।

राजस्व उपनिरीक्षक

क्षेत्र -

तहसील कोश्याँ कुटौली

(5) 2000

ग्राम - द्वामा मटे ला, परगना - बुराही

नकल खतौनी असल से नकल कर तैयार की।



सूत्र -

Scanned with CamScanner



परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भूमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.755 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46634/2020)

### प्रामाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/46634/2020** योजना जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेटालघाट के अन्तर्गत पोंगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम छीमीमटेला खाता संख्या 52 के खसरा नं० 1323 मध्ये प्राप्त 3.510 है० सिविल भूमि (सिविल/सोयम/बंजर/अवनत वन/अन्य वन) इत्यादि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक **109/12-ज्येड०ए०सी०/2020-21** दिनांक **09.03.2021** से हस्तान्तरित/आवन्तित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

*[Signature]*

(ह०)

वन संरक्षक,  
दक्षिणी कुमायूँ वृत्त,  
नैनीताल।

*[Signature]*

(ह०)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
नैनीताल वन प्रभाग,  
नैनीताल।

कार्यालय वन संरक्षक  
दक्षिणी कुमायूँ वृत्त,  
नैनीताल।

पत्रांक:-

/

दिनांक:- / /2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़ देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

*[Signature]*

(ह०)

वन संरक्षक  
दक्षिणी कुमायूँ वृत्त,  
नैनीताल।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भुमियों देव मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.755 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46634/2020)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम छीमीमटेला खसरा सं० 1323 मध्ये 3.510 हैक्टेयर सिविल भूमि के क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नैनीताल वनप्रभाग नैनीताल

|   |                                                                        |                            |             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | FP/UK/ROAD/46634/2020<br>(./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/46634/2020) | ROAD4663420207126146634712 | 17 Feb 2021 | CA: 1183516/-<br>PCA: 0/-<br>Safety: 0/-<br>Zone: 0/-<br>NPV: 1153035/-<br>Other: 0/-<br>Charges1: 0/-<br>Charges2: 0/-<br>Charges3: 0/-<br>Total: 2336551/- | Addl CA: 0/-<br>Addl CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>Other Charges: 0/-                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand<br>Verified by : 08 Mar 2021<br>Nodal Officer<br>On<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan : 08 Mar 2021<br>Generated On : 31 Mar 2021<br>Transaction Date : 31 Mar 2021 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/211261252121209MDSdimondnotchhimnateeta.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD466342020712)          |
| 5 | FP/UK/ROAD/34350/2018<br>(./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34350/2018) | ROAD3435020182496134350249 | 09 Jun 2020 | CA: 983229/-<br>PCA: 0/-<br>Safety: 0/-<br>Zone: 0/-<br>NPV: 1232010/-<br>Other: 0/-<br>Charges1: 0/-<br>Charges2: 0/-<br>Charges3: 0/-<br>Total: 2215239/-  | Addl CA: 0/-<br>Addl CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>Other Charges: 0/-                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand<br>Verified by : 29 Jul 2020<br>Nodal Officer<br>On<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan : 02 Nov 2020<br>Generated On : 03 Nov 2020<br>Transaction Date : 03 Nov 2020 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/71129121312135APD1PURA_DEMAND_NOTE_DT_29_07_2020.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD343502018249) |
| 5 | FP/UK/ROAD/33978/2018<br>(./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33978/2018) | ROAD3397820185686133978568 | 26 Dec 2019 | CA: 0/-<br>PCA: 0/-<br>Safety: 0/-<br>Zone: 0/-<br>NPV: 14454/-<br>Other: 0/-<br>Charges1: 0/-<br>Charges2: 0/-<br>Charges3: 0/-<br>Total: 216682/-          | Addl CA: 0/-<br>Addl CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>Plantation at vacant places around the proposed sl : 202228/- | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand<br>Verified by : 17 Mar 2020<br>Nodal Officer<br>On<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan : 14 Jul 2020<br>Generated On : 14 Jul 2020<br>Transaction Date : 14 Jul 2020 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/311712181212CA000demandnotoforest.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD339782018568)                |
| 7 | FP/UK/ROAD/8286/2014<br>(./Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8286/2014)   | ROAD82862014502 6182860502 | 16 Nov 2018 | CA: 0/-<br>PCA: 0/-<br>Safety: 0/-<br>Zone: 0/-<br>NPV: 90704/-<br>Other: 0/-<br>Charges1: 0/-<br>Charges2: 0/-<br>Charges3: 0/-<br>Total: 90704/-           | Addl CA: 0/-<br>Addl CAT: 0/-<br>Addl PA: 0/-<br>Other Charges: 0/-                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Paid | Fund Demand<br>Verified by : 18 Feb 2020<br>Nodal Officer<br>On<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan : 19 Feb 2020<br>Generated On : 24 Feb 2020<br>Transaction Date : 24 Feb 2020 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/2111112261213QEDQFJINOLITARL.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD82862014502)                      |

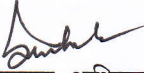
EM 245-10

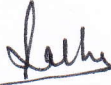
माया प्रति प्रमाणित  
माया प्रति प्रमाणित  
माया प्रति प्रमाणित

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भूमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.755 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46634/2020)

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाए।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नैनीताल।

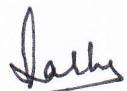
  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नैनीताल।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ में नथुवाखान सुयालबाड़ी मोटर मार्ग छीमी से मटेला होते हुए तोला भूमियाँ देव मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.755 हैक्टेयर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन, (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/46634/2020)

बचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 46 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के साथ पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नैनीताल।

  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नैनीताल।